है। क्या वित्त मंत्री जी राज्य सरकारों की इस प्रकार की मांग पर कोई विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप इन राज्यों की सहायता करेंगे? सर, मेरा दूसरा प्रश्न सातवें वेतन आयोग लागू करने के तरीके से संबंधित है। पहली बार वेतन आयोग की सिफारिशों को दो भागों में लागू किया जा रहा है। पहले भाग में, वेतन से संबंधित सिफारिशों को अगस्त माह से लागू किया गया है, जोकि अच्छी बात है। दूसरे भाग में भत्तों के संबंध में अलग समिति का गठन किया गया है। दूसरी समिति के गठन के फलस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारी भत्तों के लाभ से कई माह तक वंचित रह जाएंगे। महोदय, स्वाभाविक तौर पर इस से यह संदेश जाता है कि केंद्र सरकार इस तरह भत्तों को न देने की अवधि बढ़ाकर अपनी बचत करना चाहती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इन भत्तों का भुगतान भी अगस्त, 2016 से लागू होगा या समिति के निर्णय के आधार पर अधिसूचना जारी होगी? कृपया इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): सभापति जी, जब छठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं, तो वे सिफारिशें आने के 32 महीने बाद लागू हुई थीं। इस बार नवम्बर के माह में रिपोर्ट आई, दिसम्बर में हमने सेक्रेटरीज की कमेटी बना दी और जून के महीने में कैबिनेट ने पूरा निर्णय ले लिया। उसमें वेतन और पेंशन संबंधी निर्णय, जोकि वित्तीय दृष्टि से मुख्य बोझ होता है, उसे हमने पहली जनवरी, 2016 से लागू किया है। जहां तक भत्तों का प्रश्न है, भत्तों के संबंध में जो सिफारिशें हैं, उसमें 51 भत्ते इस प्रकार के हैं, जिन्हें abolish करने का निर्णय लिया है, 37 ऐसे हैं जिन्हें subsume किया गया है। चूंकि उसे लेकर बहुत radical suggestions हैं, 40 संगठनों ने भी उसके संबंध में अपने representations दिए हैं, इसलिए एक विशेष कमेटी बनायी गयी है, जोकि इस विषय को देखेगी और वह जो निर्णय लेगी, वह मंत्रिपरिषद के सामने जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Members are so satisfied with the answer that there are no supplementaries.

Waiver restructuring of company loans above 100 crores

*245. SHRI DIGVIJAYA SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the companies whose loans of over ₹ 100 crore have been restructured in 2013-14, 2014-15 and 2015-16; and

(b) the details of the amount due and the amount waived and the terms for restructuring along with the names of the directors of each company?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI ARUN JAITLEY) (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Reserve Bank of India (RBI) has informed that in exercise of powers conferred under Section 27 (2) of the Banking Regulation Act 1949, RBI collects credit information from banks under the CRILC reporting system (for borrowers

with credit exposure greater than ₹ 5 crores), which has been operationalised from September, 2014. Under Section 28 of the BR Act 1949, Reserve Bank can disclose information in consolidated form. Accordingly, the number of outstanding amounts in accounts that have outstanding of ₹ 100 crore and above in FY15 and FY16 is enclosed as Statement-I (*See* below). As per Section 45 (E) of RBI Act 1934, RBI is prohibited from disclosing credit information except under certain conditions.

Statement-I

The Mumber of outstanding amounts

Restructured Accounts with funded amount outstanding 100 crore and above

	March 16		March 15	
	No. of Borrowers	Funded Amount outstanding in ₹ crore	No. of Borrowers	Funded Amount outstanding in ₹ crore
Restructured Standard Advance	366	2,72,152	452	3,34,060
Restructured NPA	225	1,02,891	112	32,786

Source: Off-site returns, global operations, Reserve Bank of India

श्री दिग्विजय सिंहः सर, आज पूरे देश में बैंकिंग इंडस्ट्री crisis में है और लाखों करोड़ रुपए एनपीए में जा चुके हैं, wilful defaulters की सूची में हैं और restructured loans की योजना के अंतर्गत लिए गए हैं। सर, देश में आज transparency और information sharing का जमाना है। पूरे देश में यह चिंता का विषय है कि जो लाखों करोड़ रुपए के लोन्स दिए गए, उनकी वसूली होगी या नहीं होगी। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा है कि आरबीआई के अधिनियम 1934 की धारा 45(ड.) के अंतर्गत, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर hidden सूचना का प्रकटीकरण निषिद्ध है। महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में, जहां ट्रांसपैरेंसी आवश्यक है, आरबीआई की इस धारा को amend करने का कोई विचार है?

श्री अरुण जेटलीः माननीय सभापति जी, ट्रांसपैरेंसी बहुत लोकप्रिय शब्द है और आज पूरे विश्व में इस की स्वीकृति भी काफी हो रही है, लेकिन ट्रांसपैरेंसी को, जब आरबीआई एक्ट बना था, तब भी जिस में बहुत ट्रांसपैरेंसी आई, कुछ विषयों में commercial confidentiality के साथ उसे balance करते हैं। महोदय, कई पुराने कानून अभी भी चले आ रहे हैं, जोकि समय के साथ चल रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स कानून है कि क्या किसी व्यक्ति की tax assessment या उसकी प्रोसीडिंग्स सार्वजनिक की जा सकती है। उसी प्रकार से क्या उसके banking details क्या सार्वजनिक किए जा सकते हैं। तो अभी तक जो Banking Regulation Act, 1949 का है, और उसके अलावा जो RBI Act, 1944 का है, उसमें यह requirement है कि बैंक्स के संबंध में जो अकाउंट्स हैं, वे किस परिस्थिति में सार्वजनिक किए जाएंगे और नहीं किए जाएंगे। सार्वजनिक

करना, consolidated form में एक amount दिया जा सकता है, यह उस प्रावधान के अंदर लिखा है, इसलिए किसी भी सरकार को कानून के इस दायरे में काम करना पड़ेगा। इस वक्त सरकार के पास उस प्रावधान को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंहः सभापति जी, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही transparency के विरोध में रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन्होंने restructured standard advance की फिगर्स दिए हैं. Financial Year closing में, मार्च, 2015 में 452 borrowers में 3,00,034 करोड़ रुपये के लोन की restructuring हुई, Financial Year, 2016 में 366 borrowers के 2,72,152 करोड़ रुपये की restructuring हुई है। सर, इसमें restructured NPA है। 2015 में यह restructured NPA 32,000 करोड़ और 2016 में 1,0,2,000 करोड़ रुपये था। सभापति महोदय, यह चिंता का विषय तो है ही, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी, आज जो समय की मांग है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि इसका कोई कारण हो। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो restructured standard advance हैं और restructured NPAs हैं, उनकी आरबीआई या वित्त मंत्रालय की ऐसी कौन-सी गाइडलाइन्स हैं, या कौन से ऐसे standard procedures हैं, जिनमें लिखा है कि आप किस हद तक ब्याज में या मूल धन में राहत देंगे?

सभापति जी, हम वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि restructured standard advnace और restructured NPAs, इन दोनों के बारे में आरबीआई या वित्त मंत्रालय की क्या गाइडलाइन्स हैं?

श्री अरुण जेटलीः सभापति जी, इसके संबंध में आरबीआई बहुत डिटेल में गाइडलाइन्स देता है। इनमें NPAs के संबंध में, stressed assets के संबंध में बताया गया है कि उनके साथ किस प्रकार से डील करना है, उनकी किस प्रकार से restructuring हो सकती है और बैंक्स को किस प्रकार से उनकी provisioning अपने accounts में और balance sheet में करनी पड़ेगी। इसके लिए आरबीआई की समय-समय पर डिटेल्ड गाइडलाइन्स रही हैं और वे गाइडलाइन्स already पब्लिक डोमेन में हैं, उनके संबंध में कोई secrecy नहीं है।

मैं माननीय सदस्य के लिए इस विषय को दूसरी दृष्टि से रखना चाहूंगा कि किसी भी उद्योग को सेट-अप करने के लिए, उसके विकास और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग फायनेंस बहुत आवश्यक होता है। बैंक्स के समर्थन के बग़ैर कोई भी उद्योग या इंडस्ट्री इस देश के विकास में अग्रसर नहीं हो सकती है। बैंक्स के सामने जो प्रश्न आता है, वह यह है कि जब एक परफॉर्मिंग एसेट, जिस पर ब्याज भी दिया जाता है और उसका मूल भी वापस किया जाता है, किसी कारणवश, घाटे की वजह से या किसी अन्य कारणवश, या अगर पूरा business environment कमजोर हुआ है, उस कारण से वह वापस नहीं कर पाता, तो 90 दिन के बाद, उसका जो प्रॉसिज़र है, उस प्रॉसिज़र को फॉलो करने के बाद, उस परफॉर्मिंग एसेट को NPA के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाता है। जब वह एकाउंट NPA के रूप में फंक्शन करता है, तो उसकी अपनी लिमिटेशन्स होती हैं। अब हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि क्या उस उद्योग को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्या उसमें जो रोज़गार है, उसको तुरंत समाप्त कर दिया जाए या फिर एक संभावना ऐसी ढूंढ़ी जाए कि देश के इस प्रकार के उद्योग दुबारा खड़े हो पाएं? यह कौन-सी परिस्थिति में, इसी मैनेज़मेंट के अंदर खड़ा हो सकता है, उसकी भी गाइडलाइन्स हैं।

[श्री अरुण जेटली]

दूसरी गाइडलाइन्स भी हैं, जिनमें इसकी कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग होती है, इसमें एसडीआर है, जिसमें आप उसकी equity ले सकते हैं, बैंक्स किसी इंस्टीट्यूशन्स के माध्यम से इसको रन कर सकते हैं या किसी परिस्थिति में थर्ड पार्टी को इसकी मैनेजमेंट हैंड ओवर कर सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं हो सकता है, तो नई प्रक्रिया, जो हमने bankcruptsy की बनाई है, जिसमें किसी तीसरे को दे भी नहीं सकते हैं, उस परिस्थिति में उसको समाप्त करके, उसके एसेट को नीलाम करके बैंक के पैसे की, कर्मचारियों के पैसे की वसूली करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएँ अलग-अलग हैं और इनके संबंध में डिटेल्ड गाइडलाइन्स हैं। ये गाइडलाइन्स सार्वजनिक हैं, ऑनरेबल मेम्बर उनको ले सकते हैं, यदि वे चाहें तो मैं भी उनको भेज सकता हूं।

DR. SUBHASH CHANDRA: Thank you, Sir, for allowing me to ask a supplementary question. My question to the hon. Minister is this. Are there any corporate houses or companies who have been chargesheeted for criminal offence, and there has been a restructuring of their debts or any waiver of their debts? If there are any, I would like to have some details thereof.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, this would again depend on the principal question which I answered to the hon. Member, Shri Digvijaya Singh. As far as individual cases are concerned, there are limitations on the details we made public. If there are any specific names that the hon. Member has in mind, he can write to me separately, and I will check up those details.

SHRI K. T. S. TULSI: Mr. Chairman, Sir, I wish to ask a specific question that under the Scheme 525, the total amount of loans restructured during 2014-15, according to the information on India.com is ₹ 3,50,000 crores and the total amount of loans restructured in the case of farmers is ₹ 4 crore. Is this true?

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I will have to check up the exact details because that is not relatable to the present question. But let me tell the hon. Member that as far as different sectors are concerned, there has been an experience that in smaller loans, the levels of NPAs have been much lesser. For example, in micro financing etc., the recoveries are to the extent of 99 per cent, and therefore, the NPAs themselves are much lesser. The higher NPAs are in relation to much larger trading and industrial advances.

SHRI K. T. S. TULSI: That is why farmers are killing themselves.

SHRI ARUN JAITLEY: The farmers were killing themselves because the prices were not remunerative; the cost of cultivation has gone up, and they were unable to pay the debt back. This is the principal reason why the farm sector was in distress.

श्री अजय संचेतीः सर, अभी देश में हर सेक्टर में infrastructure को multi-fold बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के बहुत प्रयासों के बावजूद बैंकों में infrastructure sector के loan को restructure नहीं करना या उनकी rating improve होने के बाद भी उनको support नहीं करना, किसी कारण से पहले के जो भी NPAs हों, उसके कारण एक slow down आया हुआ है। देश में infrastructure में जितना पैसा pump किया जा रहा है, क्या सरकार बैंकों द्वारा फिर से उसके proportion में कंपनीज़ की मदद करने के लिए इस प्रकार का कोई विशेष प्रावधान करेगी?

श्री अरुण जेटलीः सभापति जी, यह कहना कि infrastructure companies को banking system बहुत support नहीं कर पा रहा है, अपने आपमें शायद यह एक बहुत accurate statement नहीं होगा। अगर हम सारे NPAs के basket को देखते हैं, तो उसमें infrastructure projects काफी हद तक slowdown से प्रभावित थे। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जिनके अन्दर balance sheets turn around करने लगी हैं। उदाहरण के लिए स्टील की balance sheets MIP के बाद थोड़ा turn around करने लगी हैं। National Highway Sector, चूँकि यह infrastructure का एक सेक्टर था और उसमें बहुत बड़ा slowdown आया था, पिछले एक-डेढ़ साल में उसकी balance sheets turn around करने लगी हैं, वहां पर सुधार आया है और banking system ने उसको support किया है, लेकिन जो installed projects थे और कई infrastructure companies थीं, आज भी उनके debts काफी high हैं और उस क्षेत्र के NPAs काफी high हैं, लेकिन फिर भी चूँकि infrastructure आवश्यक है, तो बैंकिग सेक्टर प्रयास करता रहता है कि चाहे management change हो, चाहे कहीं NPA restructuring हो पाए, चाहे उनके साथ third partner आ पाए, तरह-तरह की ऐसी योजनाओं के माध्यम से ये कंपनियां दोबारा अपने पांव के ऊपर खड़ी हो पाएँ।

एयर इंडिया द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

*246. **डा. सत्यनारायण जटियाः** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एयर इंडिया की सेवाओं में समय की पाबन्दी सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) एक घंटे से अधिक विलम्ब से चलने वाली उड़ानों हेतु प्रतीक्षालयों तथा अन्य सुविधाओं हेतु क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) 1 जून से 30 जून, 2016 तक की अवधि के दौरान दिल्ली तथा मध्य प्रदेश के बीच संचालित होने वाली एयर इंडिया की उड़ानों के समय-पालन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एयर इंडिया द्वारा गुणवत्तायुक्त अल्पाहार तथा भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू पुसापति)ः (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केबिन तथा कॉकपिट कर्मी दल की उपलब्धता तथा विमानों का अनुरक्षण वायु सेवाओं की समय की पाबंदी/समय पर निष्पादन (OTP) को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। एयर